बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अ धि सू च ना ।।

पटना–15, दिनांक–30.7.18

संख्या–14/प्रो० 119/2016–10144 सा०प्र०–बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित पे–बैंड ₹15,600– 39,100/–, ग्रेड पे ₹ 6,600/–, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल–11) के श्री संजय कुमार, कोटि क्रमांक–734/11, वरीय उपसमाहर्ता (उप सचिव स्तर में उत्क्रमित), अररिया को विभागीय परिपत्र सं0–4800 दिनांक–1.04.2016 के आलोक में दिनांक–9.05.2017 के प्रभाव से वैचारिक रूप से एवं उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ सहित अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान रू.15,600–39,100 ग्रेड पे रू. 7,600/–, पुनरीक्षित पे लेवल–12) के पद पर प्रोन्नति दी जाती है।

2. यह प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होंगी ।

3. श्री संजय कुमार, कोटि क्रमांक–734/11 द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिए अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुये उन्हें उसी पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

वि.३.झा 30/7/18

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक 14/प्रो० 119/16 सा०प्र०– 10144/ पटना–15,दिनांक– 30.7.18

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0 टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ मा0 उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, अररिया/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ श्री संजय कुमार, कोटि क्रमांक–734/11, वरीय उपसमाहर्ता, अररिया /प्रबंधक, आई0 टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वि.३.झा 30/7/18

सरकार के अपर सचिव।